

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 24(1)एमई/ग्रुप-1/16

जयपुर, दिनांक 06.12.2016


आदेश

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों एवं अपीलों के निस्तारण हेतु लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति पूर्व आदेशों का अधिकरण करते हुए निम्नानुसार की जाती है:-

लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
संयुक्त निदेशक (प्लान) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा	अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,


(डी.एल.तंवर)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चि.एवं स्वा., जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
4. संयुक्त निदेशक (प्लान) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
5. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
6. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव